

1

मुख्य / गम्भीर अनियमितताओं का विवरण

अवधि 1.2.2005 से 31.12.2005

क्र.सं.	पैरा सं.	विवरण
1	8	श्री जीवन कुमार कनिष्ठ सहायक को मुबलिंग 43822/- ₹0 का अनुचित भुगतान । ✓
2	10	पुजारियों / बारीदारों को देय मु0 1315318/- ₹0 की राशि को बैंक के बचत खाते या कम अवधि के सावधिक जमा में रखने के बजाए चालू खाते में रखने के कारण न्यास को प्राप्त होने वाले ब्याज की हानि ।
3	11	संविदाकार को मु0 936/- ₹0 का अनुचित भुगतान ।
4	12	संविदाकार को मु0 12402/- ₹0 का अनियमित भुगतान ।
5	13	फर्म को मु0 840/- ₹0 का अधिक भुगतान ।
6	15	शास्त्री से किराया के रूप में मु0 1200/- ₹0 की कम वसूली
7	18	मेबाईल कय पर किया गया मु0 13200/- ₹0 का ✓ अनियमित भुगतान
8	20	मोबाईल फोन चार्ज करवाने पर मु0 14016/- ₹0 का अनियमित व्यय ।
9	22	विभिन्न विज्ञापनों पर मु0 385306/- ₹0 का अनुचित ✓ भुगतान ।
10	24(क)	मु0 9370/- ₹0 के पेट्रोल के बिलों का लागबुक में प्रतिष्ठा किए बिना किया गया भुगतान ।
11	24(ख)	मु0 1403/- ₹0 बिना उद्देश्य की गई यात्रा के फलस्वरूप न्यास पर अनुचित प्रभार ।

119/

माता चिन्तपूर्णी मन्दिर न्यास चिन्तपूर्णी तहसील अम्ब जिला
ऊना, हि० प्र० के लेखाओं पर अंकेक्षण प्रतिवेदन।

अवधि 1/05 से 12/05

भाग - एक

1. गत अंकेक्षण:-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों का नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है।
अनिर्णीत अनुच्छेदों के निपटारे हेतु शीघ्र प्रग उठाए जाएं तथा अनुपालना आगामी
अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 12/6/87 से 31/12/1995

1.	पैरा 3 (ख)	अनिर्णीत।
2.	पैरा 5	अनिर्णीत।
3.	पैरा 6 (2)	अनिर्णीत।
4.	पैरा 6 (3)	अनिर्णीत।
5.	पैरा 6 (5)	अनिर्णीत।
6.	पैरा 17	अशतः अनिर्णीत।
7.	पैरा 19 (क)	अनिर्णीत।
8.	पैरा 20 (क) (1)	अनिर्णीत।
9.	पैरा 21	अनिर्णीत।
10.	पैरा 23	अनिर्णीत।

11. पैरा 24 अनिर्णीत।
12. पैरा 29 (क) अनिर्णीत।
13. पैरा 29 (ख) अनिर्णीत।
14. पैरा 30 अनिर्णीत।
15. पैरा 31 अंशतः अनिर्णीत।
16. पैरा 32 अंशतः अनिर्णीत।
17. पैरा 33 अनिर्णीत।
18. पैरा 34 अनिर्णीत।
19. पैरा 35 अनिर्णीत।
20. पैरा 38 अनिर्णीत।
21. पैरा 41 अंशतः अनिर्णीत।
22. पैरा 43 अनिर्णीत।
23. पैरा 44 अनिर्णीत।
24. पैरा 45 अनिर्णीत।
25. पैरा 47 अनिर्णीत।
26. पैरा 48 अनिर्णीत।
27. पैरा 49 अनिर्णीत।
28. पैरा 55 अनिर्णीत।
29. पैरा 56 अनिर्णीत।
30. पैरा 57 अनिर्णीत।
31. पैरा 60 अनिर्णीत।
32. पैरा 61 (क) अनिर्णीत।
33. पैरा 61 (ख) अनिर्णीत।
34. पैरा 61 (ग) अनिर्णीत।
35. पैरा 61 (घ) अनिर्णीत।
36. पैरा 61 (ङ) अनिर्णीत।
37. पैरा 61 (च) अनिर्णीत।
38. पैरा 61 (छ) अनिर्णीत।

39. पैरा 61 (ज) अनिर्णीत।
 40. पैरा 61 (झ) अनिर्णीत।
 41. पैरा 61 (ञ) अनिर्णीत।
 42. पैरा 61 (ट) अनिर्णीत।
 43. पैरा 65 अनिर्णीत।
 44. पैरा 66 अनिर्णीत।
 45. पैरा 67 (क, ख, ग) अनिर्णीत।
 46. पैरा 68 अनिर्णीत।
 47. पैरा 69 अंशतः अनिर्णीत।
 48. पैरा 70 (1) अनिर्णीत।
 49. पैरा 70 (2) अनिर्णीत।
 50. पैरा 70 (3) अनिर्णीत।
 51. पैरा 70 (4) अनिर्णीत।
 52. पैरा 70 (5) अनिर्णीत।
 53. पैरा 70 (10) अनिर्णीत।
 54. पैरा 70 (11) अनिर्णीत।
 55. पैरा 70 (12) अनिर्णीत।
 56. पैरा 71 (क) (1) अनिर्णीत।
 57. पैरा 71 (क) (2) अनिर्णीत।
 58. पैरा 71 (क) (3) अनिर्णीत।
 59. पैरा 71 (क) (4) अनिर्णीत।
 60. पैरा 71 (क) (5) अनिर्णीत।
 61. पैरा 71 (क) (6) अनिर्णीत।
 62. पैरा 71 (ख) (1) अनिर्णीत।
 63. पैरा 71 (ख) (2) अनिर्णीत।
 64. पैरा 71 (ख) (3) अनिर्णीत।
 65. पैरा 71 (ख) (4) अनिर्णीत।
 66. पैरा 73 अनिर्णीत।

-192-

67. पैरा 75 (ख) अनिर्णीत।
68. पैरा 75 (ख) (4) अनिर्णीत।
69. पैरा 76 (3) अनिर्णीत।
70. पैरा 76 (4) अनिर्णीत।
71. पैरा 77 अनिर्णीत।
72. पैरा 78 अनिर्णीत।
73. पैरा 79 (2) अनिर्णीत।
74. पैरा 79 (3) अनिर्णीत।
75. पैरा 79 (4) अनिर्णीत।
76. पैरा 80 (2) अनिर्णीत।
77. पैरा 82 (1) अनिर्णीत।
78. पैरा 82 (3) अनिर्णीत।
79. पैरा 82 (5) अनिर्णीत।
80. पैरा 82 (6) अनिर्णीत।
81. पैरा 83 अनिर्णीत।
82. पैरा 85 (1) अनिर्णीत।
83. पैरा 85 (2) अनिर्णीत।
84. पैरा 85 (3) अंशतः निर्णीत।
85. पैरा 88 (1) अनिर्णीत।
86. पैरा 88 (2) अनिर्णीत।
87. पैरा 89 अनिर्णीत।
88. पैरा 90 अनिर्णीत।
89. पैरा 92 अनिर्णीत।
90. पैरा 93 अनिर्णीत।
91. पैरा 95 अनिर्णीत।
92. पैरा 96 अनिर्णीत।
93. पैरा 97 अनिर्णीत।
94. पैरा 99 (क) अनिर्णीत।

95.	पैरा 99 (ग)	अनिर्णीत।
96.	पैरा 99 (घ)	अनिर्णीत।
97.	पैरा 99 (च)	अनिर्णीत।
98.	पैरा 99 (छ) (2)	अनिर्णीत।
99.	पैरा 99 (ज)	अनिर्णीत।
100.	पैरा 99 (झ)	अनिर्णीत।
101.	पैरा 99 (ञ) (1)	अनिर्णीत।
102.	पैरा 99 (ट) (1)	अनिर्णीत।
103.	पैरा 99 (ठ) (2)	अनिर्णीत।
104.	पैरा 107	पत्र संख्या:- फिन (एल. ए.) (एच.) (2) (सी)(15)(14)-187/86 खण्ड-7-3823 दिनांक 28.8.06 द्वारा निर्णीत। —यथोपरि द्वारा निर्णीत।
105.	पैरा 121	
106.	पैरा 128 (क)	अनिर्णीत।
107.	पैरा 128 (ग)	अनिर्णीत।
108.	पैरा 129	अनिर्णीत।
109.	पैरा 131	अनिर्णीत।

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.1999 से 31.12.1999

1.	पैरा 10 (ख)	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय संख्या 11951/95 के अन्तर्गत निर्णीत।
2.	पैरा 12	अनिर्णीत।
3.	पैरा 15	अनिर्णीत।
4.	पैरा 18	अनिर्णीत।
5.	पैरा 20	अनिर्णीत।
6.	पैरा 22 (1)	अनिर्णीत।

7. पैरा 22 (2) अनिर्णीत।
8. पैरा 23 अनिर्णीत।
9. पैरा 24 अनिर्णीत।
10. पैरा 26 अनिर्णीत।
11. पैरा 27 (ख) अंशतः अनिर्णीत।
12. पैरा 28 अंशतः अनिर्णीत।
13. पैरा 33 (क) अनिर्णीत।
14. पैरा 34 (1) अनिर्णीत।
15. पैरा 34 (2) अनिर्णीत।
16. पैरा 35 अनिर्णीत।
17. पैरा 36 अनिर्णीत।
18. पैरा 37 (ख व ग) अनिर्णीत।
19. पैरा 38 अनिर्णीत।
20. पैरा 39 अनिर्णीत।
21. पैरा 40 अनिर्णीत।
22. पैरा 42 अनिर्णीत।
23. पैरा 43 अनिर्णीत।
24. पैरा 44 अनिर्णीत।
25. पैरा 46 (ख) अनिर्णीत।
26. पैरा 46 (ग) अनिर्णीत।
27. पैरा 47 अनिर्णीत।
28. पैरा 48 अनिर्णीत।
29. पैरा 49 (क) अनिर्णीत।
30. पैरा 49 (ग) अनिर्णीत।
31. पैरा 49 (घ) अनिर्णीत।
32. पैरा 49 (ङ) अनिर्णीत।
33. पैरा 50 अनिर्णीत।
34. पैरा 51 अनिर्णीत।

250/—

35. पैरा 52 अनिर्णीत।
 36. पैरा 54 अनिर्णीत।
 37. पैरा 55 (ख) अनिर्णीत।
 38. पैरा 55 (ग) अनिर्णीत।
 39. पैरा 56 (ख) अनिर्णीत।
 40. पैरा 56 (ग) अनिर्णीत।
 41. पैरा 61 (श्रे.क) अशत अनिर्णीत।
 42. पैरा 65 (क) अनिर्णीत।
 43. पैरा 65 (ख) अनिर्णीत।
 44. पैरा 65 (ग) अनिर्णीत।
 45. पैरा 65 (घ) अनिर्णीत।
 46. पैरा 65 (ङ) अनिर्णीत।
 47. पैरा 65 (च) अनिर्णीत।
 48. पैरा 65 (छ) अनिर्णीत।
 49. पैरा 65 (ज) अनिर्णीत।
 50. पैरा 65 (झ) अनिर्णीत।

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2000 से 31.12.2000

- 1 पैरा 6 अनिर्णीत।
 2 पैरा 7 पत्र संख्या:- फिन (एल.ए.) (एच.) (2) (सी)(15), (14)-187 / 88खण्ड-7-3823 दिनांक 28.8.06 द्वारा निर्णीत।
 3 पैरा 8 अनिर्णीत।
 4 पैरा 10 अनिर्णीत।
 5 पैरा 12 अनिर्णीत।
 6 पैरा 14 (क) अशत अनिर्णीत।
 7 पैरा 17 अनिर्णीत।
 8 पैरा 18 अनिर्णीत।

9	पैरा 21 (ख)	अनिर्णीत।
10	पैरा 24 (क)	पत्र संख्या:- फिन (एल.ए.) (एच.) (2) (सी)(15),(14)-187 / 86खण्ड-7- 3823 दिनांक 28.8.06 द्वारा निर्णीत।
11	पैरा 24 (ख)	अनिर्णीत।
12	पैरा 26	निर्णीत। (प्रविष्ट की पुष्टि कर ली गई है।)
13	पैरा 27	अनिर्णीत।
14	पैरा 29 (क)	पत्र संख्या:- फिन (एल.ए.) (एच.) (2) (सी)(15),(14)-187 / 86खण्ड-7- 3823 दिनांक 28.8.06 द्वारा निर्णीत।
15	पैरा 32	अनिर्णीत।
16	पैरा 33	अनिर्णीत।
17	पैरा 34	अनिर्णीत।
18	पैरा 35	अनिर्णीत।
19	पैरा 36	अनिर्णीत।
20	पैरा 38	अनिर्णीत।
21	पैरा 39	अनिर्णीत।
22	पैरा 40	अनिर्णीत।
23	पैरा 41	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय संख्या : 119551 के अंतर्गत निर्णीत।
24	पैरा 43	अनिर्णीत।
25	पैरा 44	अनिर्णीत।
26	पैरा 45	अनिर्णीत।
27	पैरा 46 (क)	अनिर्णीत।
28	पैरा 46 (ख)	अनिर्णीत।
29	पैरा 48 (ख)	अनिर्णीत।
30	पैरा 51 (ख)	पत्र संख्या:- फिन (एल.ए.) (एच.) (2) (सी)(15),(14)-187 / 86खण्ड-7- 3823 दिनांक 28.8.06 द्वारा निर्णीत।
31	पैरा 57 (क)	अनिर्णीत।

32	पैरा 60	अनिर्णीत।
33	पैरा 61 (क)	अनिर्णीत।
34	पैरा 61 (ख)	अनिर्णीत।
35	पैरा 61 (ग)	अनिर्णीत।
36	पैरा 62	अनिर्णीत।
37	पैरा 63	अनिर्णीत।
38	पैरा 66 (क)	अनिर्णीत।
39	पैरा 69 (क)	अनिर्णीत।
40	पैरा 69 (ख)	अनिर्णीत।
41	पैरा 69 (ग)	अनिर्णीत।
42	पैरा 69 (घ)	अनिर्णीत।
43	पैरा 69 (ङ)	अनिर्णीत।
44	पैरा 69 (च)	अनिर्णीत।
45	पैरा 69 (छ)	अनिर्णीत।
46	पैरा 69 (ज)	अनिर्णीत।

(घ) अंकक्षेपण प्रतिवेदन अवधि 1/01 से 12/02

1.	पैरा 6 (क)	अनिर्णीत।
2.	पैरा 6 (ख)	अनिर्णीत।
3.	पैरा 6 (ग)	अनिर्णीत।
4.	पैरा 7 (क)	अनिर्णीत।
5.	पैरा 7 (1)(2)	अनिर्णीत।
6.	पैरा 8 (1)	अनिर्णीत।
7.	पैरा 8 (2)	अनिर्णीत।
8.	पैरा 8 (3)	अनिर्णीत।
9.	पैरा 9 (क)	अनिर्णीत।
10.	पैरा 9 (ख)	अनिर्णीत।

11. पैरा 9 (ग) अनिर्णीत।
12. पैरा 9 (घ) अनिर्णीत।
13. पैरा 14 अनिर्णीत।
14. पैरा 15 अनिर्णीत।
15. पैरा 16 अनिर्णीत।
16. पैरा 18 (ख) अनिर्णीत।
17. पैरा 19 अनिर्णीत।
18. पैरा 20 अनिर्णीत।
19. पैरा 21 अनिर्णीत।
20. पैरा 22 अनिर्णीत।

21. पैरा 23 पत्र संख्या :- फिन (एल.ए.) (एच) (2) (सी) (15) (14) -187/86 खण्ड 7 दिनांक 28.8.06 द्वारा निर्णीत।
-यथोपरि द्वारा निर्णीत।

22. पैरा 24 अनिर्णीत।
23. पैरा 25 (क) अनिर्णीत।
24. पैरा 25 (ग) अनिर्णीत।
25. पैरा 26 (क) अनिर्णीत।
26. पैरा 26 (ख) अनिर्णीत।
27. पैरा 26 (ग) अनिर्णीत।
28. पैरा 28 अनिर्णीत।
29. पैरा 29 (क) अनिर्णीत।
30. पैरा 29 (ख) अनिर्णीत।
31. पैरा 31 अनिर्णीत।
32. पैरा 32 (क) अनिर्णीत।
33. पैरा 32 (ख) अनिर्णीत।
34. पैरा 34 अनिर्णीत।

35. पैरा 35 (क) पत्र संख्या :- फिन (एल.ए.) (एच) (2) (सी) (15) (14) -187/86 खण्ड 7 दिनांक 28.8.06 द्वारा निर्णीत।
26. पैरा 35 (ख) अनिर्णीत।

37.	पैरा 36	अनिर्णीत।
38.	पैरा 38	पत्र संख्या :- फिन (एल.ए.) (एच) (2) (सी) (15) (14) - 187/86 खण्ड 7 दिनांक 28.8.06 द्वारा निर्णीत।
39.	पैरा 39	अनिर्णीत।
40.	पैरा 41	अनिर्णीत।
41.	पैरा 42	पत्र संख्या :- फिन (एल.ए.) (एच) (2) (सी) (15) (14) - 187/86 खण्ड 7 दिनांक 28.8.06 द्वारा निर्णीत।
42.	पैरा 43	अनिर्णीत।
43.	पैरा 45	अनिर्णीत।
44.	पैरा 46	अनिर्णीत।
45.	पैरा 48	अनिर्णीत।
46.	पैरा 49	अनिर्णीत।
47.	पैरा 50 (क)	अनिर्णीत।
48.	पैरा 50 (ख)	अनिर्णीत।
49.	पैरा 51	अनिर्णीत।
50.	पैरा 52	पत्र संख्या :- फिन (एल.ए.) (एच) (2) (सी) (15) (14) - 187/86 खण्ड 7 दिनांक 28.8.06 द्वारा निर्णीत।
51.	पैरा 53	अनिर्णीत।
52.	पैरा 54	पत्र संख्या :- फिन (एल.ए.) (एच) (2) (सी) (15) (14) - 187/86 खण्ड - 7 दिनांक 28.8.06 द्वारा निर्णीत।
53.	पैरा 55 (क)	अनिर्णीत।
54.	पैरा 55 (ख)	अनिर्णीत।
55.	पैरा 55 (ग)	अनिर्णीत।
56.	पैरा 56	अनिर्णीत।
57.	पैरा 57	अनिर्णीत।
58.	पैरा 60	अनिर्णीत।
59.	पैरा 61 (क)	अनिर्णीत।
60.	पैरा 61 (ख)	अनिर्णीत।

61. पैरा 61 (ग) अनिर्णीत।
62. पैरा 62 पत्र संख्या :- फिन (एल.ए.) (एच) (2) (सी) (15) (14) - 187/86 खण्ड 7 दिनांक 28.8.06 द्वारा निर्णीत।
63. पैरा 63 अनिर्णीत।
64. पैरा 65 अनिर्णीत।
65. पैरा 66 अनिर्णीत।
66. पैरा 67 अनिर्णीत।
67. पैरा 68 (क से घ) अनिर्णीत।
68. पैरा 69 पत्र संख्या :- फिन (एल.ए.) (एच) (2) (सी) (15) (14) - 187/86 खण्ड 7 दिनांक 28.8.06 द्वारा निर्णीत।
69. पैरा 70 अनिर्णीत।
70. पैरा 73 पत्र संख्या :- फिन (एल.ए.) (एच) (2) (सी) (15) (14) - 187/86 खण्ड 7 दिनांक 28.8.06 द्वारा निर्णीत।
71. पैरा 74 अनिर्णीत।
72. पैरा 76 अनिर्णीत।
73. पैरा 77 अनिर्णीत।
74. पैरा 81 अनिर्णीत।
75. पैरा 82 अनिर्णीत।
76. पैरा 83 अनिर्णीत।
77. पैरा 88 पत्र संख्या :- फिन (एल.ए.) (एच) (2) (सी) (15) (14) - 187/86 खण्ड 7 दिनांक 28.8.06 द्वारा निर्णीत।
78. पैरा 89 (क) निर्णीत। (पैरा 89 क व ख बारे में)
79. पैरा 89 (ख) निर्णीत। (1) वास्तव में दरे हि0प्र0 लो0 नि0 वि0 के शैल्यूल आपरेंट्स 1996 आधारित है।
(2) समय की बढ़ती की अनुमति आयुक्त ऊना से सम्बन्धित कार्य की नस्ति के सि0 56 पर ले ली गई है।
(3) दरे ठेकेदार से बातचीत करके 2.51 प्रतिशत कम कस्वाई गई है।

80.	पैरा 93 (ख)	अनिर्णीत।
81.	पैरा 93 (ग)	अनिर्णीत।
82.	पैरा 93 (घ)	पत्र संख्या :- फिन (एल0ए0) (एच0)(2)(सी)(16)(14)-187/86 खण्ड -7 दिनांक 28.8.06 द्वारा निर्णीत।
83.	पैरा 94	अनिर्णीत।
84.	पैरा 95	अनिर्णीत।
85.	पैरा 96	निर्णीत। (1) मु0 244435/- - रू0 के उपयोगिता प्रमाण पत्र की पुष्टि कर ली गई। (2) मु0 323495/- - रू0 रसीद संख्या 3318/74 दिनांक 9.2.05 द्वारा वापिस प्राप्त कर लिए गए हैं।)
86.	पैरा 97 (1)	अनिर्णीत।
87.	पैरा 97 (2)	अनिर्णीत।
88.	पैरा 99 (1)	अनिर्णीत।
89.	पैरा 99 (2)	अनिर्णीत।
90.	पैरा 100	अनिर्णीत।
91.	पैरा 101	अनिर्णीत।
92.	पैरा 102	अनिर्णीत।
93.	पैरा 103 (1)	अनिर्णीत।
94.	पैरा 103 (2)	अनिर्णीत।
95.	पैरा 104	अनिर्णीत।
96.	पैरा 105	अनिर्णीत।
97.	पैरा 106	अनिर्णीत।

(ड) अंकेंक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2003 से 31.12.04

1. पैरा 4. पत्र संख्या :- फिन (एल.ए.) (एच.) (2) (सी) (15)
(14)-187/86 खण्ड-7 दिनांक 28.8.06 द्वारा
निर्णीत।

2. पैरा 5. निर्णीत मन्दिर अधिकारी चित्तपूर्णों के पत्र संख्या 584/06 दिनांक 28.10.06 के अन्तर्गत दिए गए औचित्य के अनुसार स्थानीय बैंकों ने फटे पुराने नोटों को बदलने में अपनी असमर्थता जाहिर की है के दृष्टिगत पैरा समाप्त।
3. पैरा 6. पत्र संख्या :- फिन (एल.ए.)(एच)(2)(सी)(15)(14) -187/86 खण्ड-7 दिनांक 28.8.06 द्वारा निर्णीत।
4. पैरा 7. निर्णीत। (मु0 100/= रु0 की वसूली रसीद संख्या 24/94 दिनांक 16.2.06 द्वारा कर ली गई।
5. पैरा 8. निर्णीत। (अनुपालना कर ली गई है।)
6. पैरा 9. पत्र संख्या :- फिन (एल.ए.)(एच)(2)(सी)(15) (14) -187/86 खण्ड-7 दिनांक 28.8.06 द्वारा निर्णीत।
7. पैरा 10. अनिर्णीत।
8. पैरा 11. अनिर्णीत।
9. पैरा 12. अनिर्णीत।
10. पैरा 13 (क) अनिर्णीत।
11. पैरा 13 (ख) अनिर्णीत।
12. पैरा 13 (ग) अनिर्णीत।
13. पैरा 14. अनिर्णीत।
14. पैरा 15. अनिर्णीत।
15. पैरा 16. पत्र संख्या :- फिन (एल.ए.)(एच)(2)(सी)(15)(14) -187/86 खण्ड-7 दिनांक 28.8.06 द्वारा निर्णीत।
16. पैरा 17. निर्णीत। (अनुपालना की जा रही है।)
17. पैरा 18. निर्णीत। (राशि को स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया के सावधि जमा खाता संख्या 556420 दिनांक 23.3.06 में जमा करवा दिया गया है।)
18. पैरा 19. निर्णीत। (मण्डार रजिस्ट्रारों में मदों की प्रविष्टि की पुष्टि कर ली गई है।)
19. पैरा 20. निर्णीत। (स्वीकृति सूचि में दैनिक वेतन भागी कर्मचारियों बारे पुष्टि कर ली गई है।)
20. पैरा 21 (क) पत्र संख्या :- फिन (एल.ए.)(एच)(2) (सी)(15)(14)-187/86 खण्ड-7

दिनांक 28.8.06 द्वारा निर्णीत।

21. पैरा 21 (ख) अनिर्णीत।
 22. पैरा 22 पत्र संख्या :- फिन (एल.ए.) (एच) (2) (सी) (15) (14) - 187 / 86 खण्ड-7 दिनांक 28.8.06 द्वारा निर्णीत।
23. पैरा 23 (क) निर्णीत। (पुराने टायरों की प्रविष्टि मण्डार पंजिका पृष्ठ 204 पर कर ली गई है।)
24. पैरा 23 (ख) निर्णीत। (रसीद प्राप्त कर ली गई है।)
25. पैरा 24 (क) अनिर्णीत।
 26. पैरा 24 (ख) अनिर्णीत।
 27. पैरा 24 (ग) अनिर्णीत।
 28. पैरा 25 पत्र संख्या :- फिन (एल.ए.) (एच) (2) (सी) (15) (14) - 187 / 86 खण्ड-7 दिनांक 28.8.06 द्वारा निर्णीत।
29. पैरा 26 - यथोपरि द्वारा निर्णीत।
 30. पैरा 27 (क) अनिर्णीत।
 31. पैरा 27 (ख) अनिर्णीत।
 32. पैरा 27 (ग) अनिर्णीत।
 33. पैरा 28 पत्र संख्या :- फिन (एल.ए.) (एच) (2) (सी) (15) (14) - 187 / 86 खण्ड-7 दिनांक 28.8.06 द्वारा निर्णीत।
34. पैरा 29 अनिर्णीत।
 (क.ख.ग)
 35. पैरा 30 (क) पत्र संख्या :- फिन (एल.ए.) (एच) (2) (सी) (15) (14) - 187 / 86 खण्ड-7 दिनांक 28.8.06 द्वारा निर्णीत।
36. पैरा 30 (ख) अनिर्णीत।
 37. पैरा 31 अनिर्णीत।
 38. पैरा 32 अनिर्णीत।
 39. पैरा 33 अनिर्णीत।
 40. पैरा 34 अनिर्णीत।
 41. पैरा 35 पत्र संख्या :- फिन (एल.ए.) (एच) (2) (सी) (15) (14) - 187 / 86 खण्ड-7 दिनांक 28.8.06 द्वारा निर्णीत।
42. पैरा 36 निर्णीत। (पैरा संख्या 51 की पुनरावृत्ति।)
 43. पैरा 37 निर्णीत। (मुद्रा 775 / = रु० की बसूली की मृष्टि

रोकड़ वही पृ० 156 पर कर ली गई है।)

44. पैरा 38 निर्णीत। (वास्तव में मजदूरों द्वारा किए गए कार्य की प्रगति मापन पुस्तिका संख्या 35 के पृ० 18 से 22 पर अंकित है।)
45. पैरा 39 पत्र संख्या :- फिन (एल.ए.) (एच) (2) (सी) (15) (14) - 187 / 86 खण्ड-7 दिनांक 28.8.06 द्वारा निर्णीत।
46. पैरा 40 अनिर्णीत।
47. पैरा 41 (क, ख, ग) निर्णीत। पंचायत द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। मन्दिर प्रशासन के पत्र संख्या 564 / 06 दिनांक 16.10.06)
48. पैरा 42 अनिर्णीत।
49. पैरा 43 अनिर्णीत।
50. पैरा 44 निर्णीत। (निविदाएं/दरों बारे पुष्टि कर ली गई)
51. पैरा 45 अनिर्णीत।
52. पैरा 46 पत्र संख्या :- फिन (एल.ए.) (एच) (2) (सी) (15) (14) - 187 / 86 खण्ड-7 दिनांक 28.8.06 द्वारा निर्णीत।
53. पैरा 47 अनिर्णीत।
54. पैरा 48 पत्र संख्या :- फिन (एल.ए.) (एच) (2) (सी) (15) (14) - 187 / 86 खण्ड-7 दिनांक 28.8.06 द्वारा निर्णीत।
55. पैरा 48 (ग) अनिर्णीत।
56. पैरा 49 निर्णीत। (वांछित अनुपालना कर ली गई है।)
57. पैरा 50 (क) पत्र संख्या :- फिन (एल.ए.) (एच) (2) (सी) (15) (14) - 187 / 86 खण्ड-7 दिनांक 28.8.06 द्वारा निर्णीत।
58. पैरा 50 (ख) अनिर्णीत।
59. पैरा 50 (ग) अनिर्णीत।
60. पैरा 51 (क, ख, ग) अनिर्णीत।
61. पैरा 52 निर्णीत। वास्तव में खपत + 495 यूनिट हैं।

62. पैरा 53 अनिर्णीत।
(क, ख, ग)
63. पैरा 54 पत्र संख्या - फिन (एल.ए.) (2) (सी) (16) (14) -187/88 खण्ड-7 दिनांक 28-8-06 द्वारा निर्णीत।
64. पैरा 55 (क) निर्णीत। (रसीद प्राप्त कर ली गई है।)
65. पैरा 55 (ख) निर्णीत। (पुराने टायरों का इन्दाज, भण्डार पत्रिका के पृष्ठ 204 पर कर लिया गया है।)
66. पैरा 56 (क) निर्णीत। (कर्मचारियों को किए गए वितरण बारे पुष्टि भण्डार पत्रिका के पृष्ठ 997 पर कर ली गई है।)
67. पैरा 56 (ख) निर्णीत। (भण्डार पत्रिका पृष्ठ 997 पर प्रविष्टि की पुष्टि कर ली गई है।)
68. पैरा 56 (ग) निर्णीत। (यह राशि श्री जोगिन्द्र पाल ने अपनी जेब से अदा की है तथा फर्म ने अपना कौश मेमो जारी किया है।)
69. पैरा 56 (घ) निर्णीत। (वर्दियां प्रत्यक्ष रूप में मिल से कय की गई हैं।)
70. पैरा 57 अनिर्णीत।
71. पैरा 58 निर्णीत। (राशि के अस्थाई दुरुपयोग के लिए रु० 100/- रु० की राशि जमा कर दी गई है जिसकी पुष्टि रोकड़ वही पृ० 158 पर कर ली गई है।)
72. पैरा 59. (क) निर्णीत। (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के प्राकलन संख्या पी एच सी एच/एस्टीमेट 2003/1697 दिनांक 11-12-03 के अनुसार भुगतान किया गया।)
73. पैरा 59 (ख) निर्णीत। (रसीद प्राप्त कर ली गई है।)
74. पैरा 59 (ग) निर्णीत। (उपयोगिता प्रमाण पत्र की पुष्टि कर ली गई है।)
75. पैरा 60 अनिर्णीत।
76. पैरा 61 अनिर्णीत।
77. पैरा 62 (क) निर्णीत। (यह भुगतान सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के प्राकलन संख्या पी एच सी एच/एस्टीमेट 2003/1697 दिनांक 11-12-03 के अनुसार भुगतान किया गया।)

- ऊना डी वी डब्ल्यू एस. एस. भरवाई / 04
दिनांक 10-8-04 द्वारा किया गया है।)
- पैरा 62 (ख) निर्णीत।
पैरा 62 (ग) निर्णीत।
पैरा 62 (घ) निर्णीत। (पैरा 62 (ख) से 62 (घ) उपयोगिता प्रमाण पत्र आई डी यू-2 ए.बी. डीपोजिट/2005 दिनांक 24/3/06 को प्राप्त कर लिया गया है।)
- पैरा 63 निर्णीत। (माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय संख्या 11951/95 के अन्तर्गत निर्णीत।)
- पैरा 64 अनिर्णीत।
पैरा 65 निर्णीत। (दरों की पुष्टि कर ली गई है।)
- पैरा 66 (क) अनिर्णीत।
पैरा 66 (ख) अनिर्णीत।
पैरा 67 (क) अनिर्णीत।
पैरा 67 (ख) अनिर्णीत।
पैरा 67 (ग) निर्णीत। (रसीद की पुष्टि कर ली गई है।)
- पैरा 68 अनिर्णीत।
(क)(ख)(ग)
पैरा 69 अनिर्णीत।
(क)(ख)(ग)
पैरा 70 अनिर्णीत।
(क)(ख)
पैरा 71 (क) निर्णीत। (उपयोगिता प्रमाण-पत्र संख्या:- आयु0 ऊना भण्डार पन्चक्रमा दिनांक 17-4-06 प्राप्त कर लिया गया है।)
- पैरा 71 (ख) निर्णीत। (इस भुगतान/कय की स्वीकृति उपायुक्त ऊना द्वारा नवरात्रा मेलों के अवसर पर यात्रियों की सुविधा हेतु प्रदान की गई है। पुष्टि कर ली गई है।)
- पैरा 72 अनिर्णीत।
(क)(ख)
पैरा 73 अनिर्णीत।
(क)(ख)
पैरा 74 अनिर्णीत।
(क)(ख)
पैरा 75 (क) पत्र संख्या :- फिन (एल.ए.)(एच)(2)सी.

(15)(14)-187/88 खण्ड-7 दिनांक 28/8/88
द्वारा निर्णीत।

98. पैरा 75 (ख) अनिर्णीत।
99. पैरा 75 (ग) अनिर्णीत।
100. पैरा 75 (घ) अनिर्णीत।
101. पैरा 75 (ङ) अनिर्णीत।
102. पैरा 76 निर्णीत। श्रावण अष्टमी मेला 2004 के प्रबन्ध बारे हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार।)
103. पैरा 77 (क) पत्र संख्या :- फिन (एल.ए.)(एच)(2)सी (15)(14)-187/88 खण्ड-7 दिनांक 28/8/06 द्वारा निर्णीत।
104. पैरा 77 (ख) यथोपरि द्वारा निर्णीत।
105. पैरा 77 (ग) यथोपरि द्वारा निर्णीत।
106. पैरा 78 यथोपरि द्वारा निर्णीत।
107. पैरा 79 (क) निर्णीत। पैरा 79 (क) से (ग)
108. पैरा 79 (ख) (1) अधिक किए गए मु0 2879 रु0 की वधूली कर ली गई है।
109. पैरा 79 (ग) (2) वास्तव में श्री वीर सिंह की नियुक्ति उनके प्रथम नियुक्ति आदेशों के अनुसार वलर्क के पद पर की गई है जिसकी पुष्टि कर ली गई।
(3) आयुक्त मन्दिर के आदेश संख्या 61 से 63/टी.टी.सी/दिनांक 27.5.04 के अन्तर्गत श्री वीर सिंह के किए गए पदोन्नति आदेशों के अनुसार।)
110. पैरा 80 अनिर्णीत।
(क),(ख)
111. पैरा 81 (1) अनिर्णीत।
112. पैरा 81 (2) निर्णीत। (ये दोनों अधिकारी/कर्मचारी अन्य विभागों से थे तथा मन्दिर न्यास द्वारा उनकी सेवाएँ ली गई थी। उनकी सेवा पुस्तिकाएं उनके मूल विभाग में ही थी।
113. पैरा 81 (3) निर्णीत। (अनुपालना की जा रही है।)
114. पैरा 81 (4) अनिर्णीत।
115. पैरा 81 (5) अनिर्णीत।
116. पैरा 81 (6) अनिर्णीत।

117	पैरा 81 (7)	अनिर्णीत।
118	पैरा 81 (8)	अनिर्णीत।
119	पैरा 81 (9)	अनिर्णीत।
120	पैरा 81 (10)	अनिर्णीत।
121	पैरा 81 (11)	अनिर्णीत।
122	पैरा 81 (12)	अनिर्णीत।
123	पैरा 81 (13)	अनिर्णीत।
124	पैरा 81 (14)	अनिर्णीत।
125	पैरा 81 (15)	अनिर्णीत।

नोट :-

पैरा संख्या 57 मन्दिर आयुक्त एवं उपायुक्त ऊना के
ट्यानाथ :-

लगभग तीन वर्ष पूर्व दिनांक 18.12.03 को श्री मेघ राज शर्मा मन्दिर अधिकारी की मुबलिंग 100000.00 रुपये की अग्रिम राशि अदा की गई है। परन्तु इस अधिकारी द्वारा 10/2006 तक भी अग्रिम के समायोजन लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। और न ही उन्होंने इस राशि को वापिस लौटाया है तथा पिछले वर्ष 2005 में उनका स्थानान्तरण हो गया है।

भाग - 2

2. वर्तमान अंकेक्षण :-

मन्दिर न्यास चिन्तपूर्णी जिला ऊना के लेखाओं अवधि 1.1.2005 से 31.12.2005 तक का अंकेक्षण सर्व श्री जितेन्द्र सिंह अनुभाग अधिकारी एवं संजीव

कुमार अशोत्रा लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 28.8.06 से 8.11.06 तक चिन्तपूर्णी में किया गया विस्तृत जांच हेतु मास 4/05 व 8/05 के लेखाओं का चयन किया गया। अनुवर्ती पैरों में दिए गए अमिलेख के अलावा अन्य वांछित अमिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया।

"The audit report has been prepared on the basis of informations furnished and made available by the controlling officer of the institution. The office of Local Audit Department disclaims any responsibility for any misinformation and or non - information on the part of auditee."

3. अंकेक्षण शुल्क :-

1/06 से 12/05 तक का अंकेक्षण शुल्क मुबलिय 62700.00/-रु0 आंका गया। मन्दिर अधिकारी मन्दिर न्यास चिन्तपूर्णी को उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा परीक्षक स्थानीय निधि लेख हि0 प्र0 शिमला-9 के नाम प्रेषित करने का अंकेक्षण अधिकारी संख्या 249/2006 दिनांक 8.11.06 के द्वारा अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति :-

माता चिन्तपूर्णी मन्दिर न्यास चिन्तपूर्णी जिला ऊना की अवधि 1.1.2005 से 31.12.2005 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(क) 1/2005 से 12/2005

1.	गत शेष	13,72,28,644-38
2.	प्राप्तियाँ	7,90,02,028-71
3.	कुल	21,62,30,673-09
4.	व्यय	4,31,92,708-00

(ख) दिनांक 31.12.2005 को अन्तिम शेष का विवरण

1.	बैंक/डाकघर बचत खाते में जमा राशि परिशिष्ट 'क'	1,21,87,101-11
2.	सावधि जमा खाते में निवेश परिशिष्ट 'ख'	16,00,72,331-00
3.	हस्तगत राशि	8,31,393-00
		<u>17,31,10,825-11</u>

(ग) अन्तर तथा अन्तर के कारण :-

17,31,10,825.00 - 17,30,37,965.09 = मु0 72,860.02 रुपये ।

मुबलिग 723,870.02 / - रुपये की राशि के अन्तर का विवरण परिशिष्ट

'क' पर संलग्न।

(घ) तीन वर्षों में प्राप्त आय तथा आय के बढ़ने का कारण

क्र० सं०	वर्ष	आय
1.	2003	5,62,72,512.08 (व्याज सहित)
2.	2004	6,53,13,191.39 (व्याज सहित)
3.	2005	7,90,02,028.71 (व्याज सहित)

माता चिन्तपूर्णी का मन्दिर उत्तरी भारत का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है तथा न्यास द्वारा श्रद्धालुओं को उपलब्ध करवाई गई सुविधाओं के कारण चढ़ावे में प्रतिवर्ष बढ़ती रही है तथा इसके कारण चढ़ावे में प्रतिवर्ष बढ़ती रही है जो कि न्यास की आय का प्रमुख स्रोत है। इसके अतिरिक्त न्यास द्वारा विभिन्न बचत खातों तथा सावधि जमा से प्राप्त व्याज भी आय बढ़ने का कारण है।

(ड) कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों पर व्यय:-

क्र० सं०	वर्ष	आय/प्राप्ति	वेतन	प्रतिशतता
1.	2003	5,62,72,512.08	53,52,511-00	9.51 प्रतिशत
2.	2004	6,53,13,191.39	54,31,933-00	8.31 प्रतिशत
3.	2005	7,90,02,028.71	57,58,947-00	7.28 प्रतिशत

वर्ष 2005 में कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन तथा भत्तों में वर्ष 2004 की तुलना में मुवलिंग 3,27,014-00 रुपये की वृद्धि हुई है जो कि 6.02 प्रतिशत है। यह वृद्धि मुख्यतः कर्मचारियों को दी गई मेंहगाई भत्ते की किस्तों, वार्षिक वेतन वृद्धियों तथा पाँच कर्मचारियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थापन के फलस्वरूप हुई है जो कि न्यायोचित है।

बजट का न बनाया जाना :-

मन्त्रि न्यास द्वारा दि हिमाचल प्रदेश हिन्दू पब्लिक रिलिजियस इन्स्टीट्यूशनज़ एण्ड चैरिटेबल एण्डोवमेंट रूलज़ 1984 की धारा 13 के अन्तर्गत विद् गए प्राक्धान के अनुसार वार्षिक बजट तैयार नहीं किया जा रहा है। जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। क्योंकि इसके अभाव में निधि के दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः नियमों में दिए गए प्राक्धान के अनुसार फार्म डी पर बजट बनाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5. सोना तथा चान्दी का विवरण:-

(क) सोना:-

गत शेष परिशिष्ट(ग) प्राप्ति	कि० ग्रा० 95	ग्रा० 389	मि० ग्रा० 080
	8	586	204

कुल	103	975	284
गोल्ड बान्ड योजना अथवा किसी अन्य योजना में निवेश	103	975	284

मन्दिर न्यास चिन्तपूर्ण के अंकेक्षण अवधि 31-12-05 तक 103 कि० ग्रा० 976 ग्राम 284 मि० ग्रा० सोना कोषागार अम्ब जिला उना में सुरक्षित रखा गया है। सोने की इतनी अधिक मात्रा को मदेन्जर रखते हुए मन्दिर आयुक्त को सुझाव दिया जाता है कि सोने का निवेश भारतीय गोल्ड बान्ड योजना में किया जाए ताकि सोने पर ब्याज अर्जित किया जा सके।

6. (ख) चान्दी-

गत शेष	कि० ग्रा०	ग्रा०	मि० ग्रा०
परिशिष्ट ग	31	69	996
प्राप्ति	3	14	533
कुल	34	84	529
निवेश		शून्य	
	34	84	529
			700

अंकेक्षण अवधि 31/12/05 तक चान्दी का भण्डार 34 कि० ग्रा० 529 ग्राम 700 मि० ग्रा० है। जिसे कोषागार अम्ब जिला उना में सुरक्षित रखा गया है। इस बारे सुझाव दिया जाता है कि चान्दी के 10 अथवा 20 ग्रा० के सिक्के बनाकर तथा उनका मूल्य समय-समय चालू दरों पर निर्धारित करके श्रद्धालुओं को बिक्री हेतु उपलब्ध करवाए जाएँ ताकि मन्दिर न्यास को इस बिक्री से अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके अथवा इस चान्दी का प्रयोग माता श्री चिन्तपूर्ण के मन्दिर के सौन्दर्यकरण में प्रयोग किया जाए ताकि श्रद्धालुओं की आस्था एवं श्रद्धा में वृद्धि हो जो कि न्यास की आय वृद्धि का प्रमुख स्रोत है।

7. अंकेक्षण में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के वयनित मासों में प्राप्त सोना तथा चान्दी निम्न विवरणानुसार स्टाक पंजिकाओं में कम दर्शाए गए हैं। अतः इन किमती धातुओं को स्टॉक रजिस्ट्रों में वज़न में कम दर्शाए जाने का औचित्य स्पष्ट करें अथवा स्टॉक पंजिकाओं में कम गणना किए गए सोने। चान्दी की वसूली सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से वर्तमान बाज़ार मूल्य पर कर के मन्दिर न्यास निधि में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(क) सोना :-

दिनोंक	दान में प्राप्त सोना	स्टॉक में लिया गया	अन्तर
	कि० ग्रा०	मि० ग्रा०	कि० ग्रा० मि० ग्रा०
1/4/05	- 15	100	- 14 200
25/4/05	- 88	200	- 87 300
2/8/05	- 18	700	- 18 600
			- 100
			280

(ख) चान्दी :-

दिनोंक	दान में प्राप्त चान्दी	स्टॉक में ली गई	अन्तर
	कि० ग्रा० मि० ग्रा०	कि० ग्रा० मि० ग्रा०	कि० ग्रा० मि० ग्रा०
2/4/05	1 252 -	1 152 -	- 100 -
3/4/05	1 445 -	1 419 -	- 26 -
5/4/05	1 380 -	1 360 -	- 20 -
7/4/05	- 595 -	- 555 -	- 40 -
16/4/05	1 673 -	- 673 -	1 -
9/8/05	- 804 -	- 794 -	- 10 -
13/8/05	3 766 -	3 656 -	- 110 -
19/8/05	1 197 -	1 089 -	- 108 -
31/8/05	- 709 -	- 699 -	- 10 -
			1 424 -

(ग)

दिनोंक 15-4-05 को दो चान्दी की चरणामती टूटने के कारण

में नहीं लिया गया है। तथा न ही इनका कितना भार है यह दर्शाया गया है जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इन जमा की गई चरणाभित्तियों का वजन करके इन्हें प्राप्त चान्दी की कुल मात्रा में सम्मिश्रित करके अनुपालना आगामी अक्रेषण में दर्शाई जाए।

(घ)

अक्रेषण अवधि 1/06 से 12/06 के चयनित मासों का अक्रेषण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार प्राप्त सोना तथा चान्दी के प्रमाण पत्र किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा सत्यापित नहीं है जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। इस प्रकार की अनियमितता को भविष्य में न दोहराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र० सं०	दिनांक	प्राप्त सोना	प्राप्त चान्दी
1.	9-4-05	37 ग्राम	1 कि०ग्राम 462 ग्राम
2.	17-8-05	34 ग्राम	967 ग्राम
3.	23-8-05	25 ग्राम	412 ग्राम
4.	24-8-05	13 ग्राम 600 मि०ग्राम	372 ग्राम

8.

श्री जीवन कुमार कनिष्ठ सहायक को निम्न विवरणानुसार तथा परिशिष्ट (घ) पर लगाई गई गणना सीट के अनुसार गलत वेतन निश्चित करने के फलस्वरूप दिनांक 31-12-2005 तक मुबलिया 43822/- रुपये का अधिक भुगतान कर दिया गया है। जिसकी उनसे वसूली सुनिश्चित की जाए।

श्री जीवन कुमार द्वारा आहरित वेतन।

उपायुक्त ऊना के आदेश संख्या 26/पी.ए.सी./ऊना 262-64 दिनांक 7. 6.99 के अनुसार वरिष्ठ सेवा अधिशासी के पद पर (दिए वेतन)

दिनांक	मूल वेतन	दिनांक	मूल वेतन
7.6.99	4400	7.6.99	4020
1.6.2000	4650	1.6.2000	4140
1.6.01	700	1.6.01	4280

उपायुक्त रुना के आदेश संख्या 221-28/ 5.7.05 के अनुसार कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थापना के फलस्वरूप।	
1.6.02	4850
1.6.03	5000
1.6.04	5160
1.6.05	5320
1.9.01	4400
1.9.03	4550
1.9.04	4700
1.9.05	4850
	5000

9.

मन्दिर न्यास के निम्न 5 कर्मचारियों को जो कि पूर्व में सेवादार (अधिशाली) अथवा सुपरवाइजर के पद पर तैनात थे, को उपायुक्त रुना के आदेश संख्या 221-28/टी.टी.सी दिनांक 5.7.05 के अन्तर्गत क्लर्क के पद पर आरम्भ से नामित करके कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थापन किया गया है। मन्दिर न्यास के बाई लाज में दिए गए प्रावधान के अनुसार कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी नियमों में बदलाव करने के लिए गठित सेवा समिति की अनुमति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	कठ सहायक के पर स्थापन की दिनांक	प्रथम नियुक्ति की तिथि तथा पदनाम
1.	सर्वश्री जीवन कुमार	1.9.01	1.9.06 (सुपरवाइजर)
2.	जोगिन्द्र पाल	1.9.02	1.9.97 (सुपरवाइजर)
3.	रमेश चन्द	7.6.04	17.6.99 (सेवादर अधिशाली)
4.	बलवन्त सिंह	7.6.04	24.6.99 (सेवादर अधिशाली)
5.	केवल सिंह	14.6.04	22.6.99 (सेवादर अधिशाली)

10.

पुजारी/बारीदारों को अंकेक्षण अवधि 1/05 से 12/05 के चयनित मासों में उनके देय हिस्सों की जांच करन पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दर्शाई गई राशि जो बारीदारों द्वारा गांगी नहीं गई थी, को न्यास द्वारा बैंक के चालू खाते में रखा जा रहा है। तथा यह राशि मास 1/05 से 12/05 तक मु०

नहीं है। अतः उक्त खाते में राशि रखने पर न्यास को व्याज की हानि उठानी पड़ी। इस सन्दर्भ में परामर्श दिया जाता है कि उक्त खाते में पड़ी राशि को पूर्व वर्ष की भान्ति सावधि जमा योजनाओं में निवेश किया जाए जिससे न्यास उक्त खाते में अधिक पड़ी राशि पर व्याज अर्जित कर सकें अन्यथा इन राशियों को जो कि दावेदारों द्वारा मांगी नहीं (unclaimed) गई है। कि वापिस न्यास निधि में जमा करवाया जाए तथा ऐसे हिस्से तमी न्यास निधि से निकाले जाए जब इनका भुगतान सम्बन्धित बारीदार द्वारा प्राप्त कर लिया जाना हो।

क्रमांक	बारीदार का नाम	1/05	4/05	7/05	10/05
1.	श्रीमति शकुन्तला देवी	32,421.00	30,759.00	30,620.00	27,959.00
2.	श्री रत्न चन्द	3,377.00	3,204.00	3,190.00	2,912.00
3.	श्रीमति नर्मदा देवी	19,453.00	18,455.00	18,376.00	10,775.00
4.	श्री वनमाली दत्त	27,032.00	31,633.00	25,523.00	23,299.00
5.	श्रीमति कौशल्या देवी	60,790.00	57,674.00	57,427.00	52,424.00
6.	श्रीमति चिन्ती देवी	6,484.00	6,151.00	5,591.00	48,113.00
7.	श्रीमति बिमला देवी	6,079.00	5,767.00	5,242.00	4,542.00
8.	श्रीमति ज्योत्सो देवी	1,82,372.00	1,73,023.00	1,72,282.00	1,57,274.00
9.	श्री अजय कुमार	10,131.00	9,612.00	9,571.00	13,105.00

11. वाकूचर संख्या 136 दिनांक 6.5.05 राशि रु० 142724.00
रुपये:-

उपरोक्त भुगतान वाकूचर द्वारा श्री अश्विनी कुमार ठेकेदार को यात्री भवन भरवाई की रंग रोगन का कार्य करवाने के एवज में निम्न विवरणानुसार मुबलिंग 936.00 रूपयों का अधिक भुगतान कर दिया गया है जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए। इन सभी मदों की प्रविष्टि मापन पुस्तिका संख्या 34 के पृष्ठ 81 पर की गई है।

क्र० सं०	मद का नाम व संख्या	मात्रा जो ली गई है	मात्रा जो ली जानी है	अधिक मात्रा	दर	राशि
1.	(2) रियूविंग वाईट और कलर वाश (2) वालज	4864.43 मी ⁰²	4836.15 मी ⁰²	28.28 मी ⁰²	1.60 प्रति मी ⁰²	45.25
2.	(3/4) अपलाईंग कोट ओफ़ डिस्टम्पर प्राईमर।	4864.43 मी ⁰²	4836.15 मी ⁰²	28.28 मी ⁰²	12.50 प्रति मी ⁰²	353.50
3.	(4/3) डिस्टम्परिंग(वन कोट+वन कोट) विद वाशेबल ऑयल वांऊड डिस्टेंपर	4864.43 मी ⁰²	4836.15 मी ⁰²	28.28 मी ⁰²	19/- रू० प्रति मी ⁰	537.32

अर्थात् मु० = 936/-रूपये

936.07 रू०

12. वाकचर संख्या 1229 दिनांक 4/3/05 राशि:- मु० 192398/- रू०:-

एक्सटेन्शन आफ़ टैम्पल कम्प्लैक्स फ़ैज़-2 का निर्माण कार्य मैसर्स वालिया बिलडर्ज दिल्ली को आवंटित किया गया है। उन्होंने निविदा में निम्न मद जो कि निविदा में शामिल भी के अतिरिक्त सभी मदों की दरें प्रेषित की हैं। सी० पी० डब्ल्यू डी० मैन्चूल खण्ड-2 के पैरा 20.1.5 से 20.1.9 में दरों के बारे स्पष्ट निर्देश है कि ठेकेदार को निविदा में अपनी दरें अंको तथा शब्दों में लिखनी चाहिए। परन्तु उक्त मामले में निविदा में सम्मिलित मद की दर ठेकेदार द्वारा न तो अंको में और न ही शब्दों में लिखी गई है तथा च्यास द्वारा इस मद को एक्स्ट्रा मद बनाकर मु० 1443.80 रू० प्रति मी⁰² की दर से भुगतान कर दिया गया है जबकि यह मद निविदा में शामिल थी तथा ठेकेदार ने इस मद के अतिरिक्त सभी मदों की दरें स्पष्ट लिखी हैं। तथा यह मद उसके द्वारा मुफ्त में निष्पादित की

जानी थी। अतः ठेकेदार को निम्न विवरणानुसार अधिक किए गए मुबलिया 12402/- रुपये के भुगतान की वसूली की जाए।

माफ पुस्तिका संख्या	पृष्ठ संख्या	मद का नाम व संख्या।	मात्रा	दर	राशि
31	64	39/25 पी10/एफ वायर गॉज शटर्ज फार डोरर्ज	8.59 मी ²	1443.80	12402.00 रु०

13. वाकचर संख्या: 439 दिनांक: 18-8-05 राशि 10 मु०
15540/- रु०

मैसर्ज भारत फर्नीचर हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से बिल संख्या 2366 दिनांक 16-6-05 के अर्न्तगत निम्न विवरणानुसार 9 कुर्सियों का क्रय किया गया है।

विवरण कुर्सियाँ	मात्रा	दर	राशि
9 नं०	1633.35	14700.18	
दुलाई		800.00	
		15540.18	

अर्थात् मु० 15540/-

वास्तव में बिल की कुल राशि 15540/- रु० के स्थान पर मु० 15500/- रुपये देय बनती है तथा फर्म द्वारा कुर्सियों की पहुँच लक्ष्य तक (For Destination) थी। इस प्रकार फर्म को गलत गणना के कारण मु० 40/- रुपये (15540-15500/-रु०) तथा दुलाई के मु० 800/- रुपये तथा कुल मुबलिया 840/- रुपये (800+40) का अधिक भुगतान कर दिया गया है, जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए।

14. वाक्य संख्या 368 दिनांक 2/8/05
राशि: मु० 35000/- रु०:-

मुबलिंग 35000/- रुपये की राशि भारत संचार निगम लिमिटेड को श्रावण अष्टमी मेला 2005 के दौरान दूरभाष के अस्थाई कनेक्शन लेने हेतु बतौर प्रतिभूति अदा की गई है। परन्तु यह राशि अभी तक भारत संचार निगम लिमिटेड ने वापिस नहीं की है। अतः मु० 35000/- रु० की राशि को भारत संचार निगम लिमिटेड से वापिस लेकर न्याय निधि में जमा करवाया जाए।

15. यात्री भवन भरवाई का आंगतुक रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि इसके कमरा संख्या 212 में श्री राजीव कुमार दिनांक 11/8/05 सायं 6.55 से दिनांक 18/8/05 सुबह 9.05 बजे तक ठहरे हुए थे। परन्तु इस यात्री से मुबलिंग 200/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मात्र एक ही दिन का किराया वसूल किया गया है जो कि उनसे 7 दिन के ठहराव के लिए मुबलिंग 1400/- रुपये वसूल किया जाना वांछित था। इस प्रकार उनसे मुबलिंग 1200/- रु० की वसूली कम की गई है जिसे दोषी से वसूल करके न्यास में जमा करवाया जाए।

16. निम्न विवरणानुसार चढ़ावा के रूप में प्राप्त 3 दूध पीते छेदुओं का चढ़ावा पंजिका से नीलामी पंजिका में इन्द्राज नहीं किया गया और न ही इनकी नीलामी की गई थी।

क्र० सं०	दिनांक	छेदुओं की मात्रा
1.	23/4/05	2
2.	30/4/05	1
कुल		3

उपरोक्त 3 छेलुओं की वसूली अंकेक्षण के दौरान रसीद संख्या 50/0003 दिनांक 23/9/06 के अर्न्तगत मु0 300/-रु0 करवा ली गई है तथा सुझाव दिया गया जाता है कि इस प्रकार की चूक की पुनरावृत्ति न की जाए।

17.

खाताबही के मु0 301 का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्री केवल सिंह वाहन चालक मन्दिर न्यास विन्तपूर्ण को दिनांक 14-9-04 को मु0 10,000/- रुपये की राशि का अग्रिम भुगतान किया गया था। उन्होंने दिनांक 25/10/04 को केवल मु0 7765/- रुपये की राशि के ही समायोजन वारुचर प्रस्तुत किए थे तथा उनसे मु0 2235/- रुपये की राशि वसूल की जानी वांछित थी। श्री केवल सिंह चालक ने अंकेक्षण के दौरान ही मु0 2235/- रुपये की राशि न्यास निधि में जमा करवा दी है जिसकी पुष्टि रोकड़ वहीं के पृष्ठ संख्या 158 पर कर ली गई है।

18.

वारुचर संख्या 181 दिनांक 21/5/05 राशि- मु0 13200/-रुपये:-

मैसर्स मोबाईल जॉन पंचकुला हरियाणा से बिल संख्या 1118 दिनांक 7/4/05 के अर्न्तगत एक नोकिया मोबाईल का मुवलिग 13200/- रुपये में क्रय किया गया है तथा इस प्रकार किया गया व्यय न्यास की गतिविधियों के अर्न्तगत उचित/वैध नहीं है। यह मोबाईल उपमण्डलाधिकारी अन्व को जारी किया गया है तथा इसे उपायुक्त ऊना की अनुमति/ अनुमोदन लिए बिना क्रय किया गया है।

19.

मन्दिर न्यास के उपनियम (बाई लॉज) के नियम 9 के अनुसार जो कि कर्मचारी न्यास के निधि अथवा सम्पत्ति से सम्बन्धी कार्य/देखभाल कर रहा है उनसे मु0 2000/- से मु0 5000/- रुपये तक नगद प्रतिभूति (सिक्सोरिटी) ली जाए। न्यास के निम्न कर्मचारी उक्त कार्य कर रहे हैं तथा उनसे कोई भी प्रतिभूति नहीं ली गई है।

1. श्री जीवन कुमार (सम्पत्ति से सम्बन्धी कार्य)
2. श्री रमेश कुमार (निधि से सम्बन्धी कार्य)

अतः नियम 9 के अन्तर्गत वांछित प्रतिभूति उपरोक्त कर्मचारियों से लेकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

20.

अंकेक्षण अवधि के चयनित माह 4/05 व 8/05 का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि उपायुक्त रुना की अनुमति लिए बिना निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों के मोबाईल फोन चार्ज किए गए हैं जो कि एक गम्भीर अनियमितता है जिसे भविष्य में न दोहराया जाए तथा उपायुक्त रुना की स्वीकृति आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

वारुचर सं०	दिनांक	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद	राशि
77.	21.4.05	1. सर्वश्री गुरदयाल डी.आई.	330.00
		2. ए.पी.एम.ओ. रुना	330.00
		3. विश्वास कुमार ए.एस.आई.	331.00
		4. नानक चन्द वाचक	331.00
		5. ओम प्रकाश एस.आई.	331.00
		6. जगतार सिंह ए.एस.आई.	331.00
			1984.00
429.	17.8.05	1. सर्वश्री डी.एस.पी. सन्धू	500.00
		2. विश्वास कुमार	551.00
		3. सुरेन्द्र कुमार इन्स्पेक्टर	551.00
		4. हरनाम सिंह इन्स्पेक्टर	500.00
		5. ओम प्रकाश सब इन्स्पेक्टर	551.00
		6. दविन्द्र कुमार ए.एस.आई.	551.00

7. दीवान चन्द सब इन्सपेक्टर	551.00
8. महिन्द्र सिंह ए.एस.आई.	551.00
9. अति. पुलिस अधीक्षक	551.00
10. डी.एस.पी.अम्ब	551.00
11. मेहर चन्द इन्सपेक्टर	551.00
12. प्रीतम चन्द डी.एस.पी.	551.00
13. रत्न लाल इन्सपेक्टर	551.00
14. शकुत्तला इन्सपेक्टर	551.00
15. भारत भूषण सब इन्सपेक्टर	500.00
16. मदन मोहन सेक्टर ईन्चार्ज	551.00
17. ए.डी.सी. ऊना	1100.00
18. एस.डी.एम अम्ब	1100.00
19. पी.सी.शर्मा नायब तहसीलदार	551.00
20. मनोज कुमार नायब तहसीलदार	551.00
21. कालीदास नायब तहसीलदार	500.00
22. अवनीश शर्मा नायब तहसीलदार	551.00
23. भगत राम नायब तहसीलदार	500.00
24. कुशल सिंह नायब तहसीलदार	500.00
	14016.00

21.

निम्न विवरणानुसार दर्शाए गए भुगतान वारुचसों के अन्तर्गत क्रय

की गई मदें बिना दरें मंगवाए क्रय की गई है जो कि एक गम्भीर अनियमितता है।
 अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में क्रय की जाने वाले मु0 1000.00रु0 से
 ज्यादा के मूल्य की मदों की दरें /निविदाएं मंगवाई जाएं तथा इस प्रकार की
 अनियमितता न दोहराई जाए।

कं. सं०	वाक्य संख्या	दिनांक	फर्म का नाम	विल संख्या	दिनांक	राशि	टिप्पणी
1.	30	7.4.05	मै० शिवम् मोर्स चण्डीगढ़	1605	1.8.05	3481.00	स्टॉक प्रविष्टि नहीं दिखाई गई।
2.	407	12.8.05	मै० सनस्ट्रोक कैमिकल	612	1.8.05	15200.00	—
3.	51	14.4.05	धुरक्वडी(कांगडा) मै० प्यारे लाल एण्ड सन्ज होशियारपुर	606	6.4.05	2902.00	—

22.

अंकेक्षण अवधि में पाया गया कि निम्नलिखित राशियाँ विभिन्न पत्रिकाओं, समाचारपत्रों में विज्ञापन के मुद्रण पर व्यय की गई है। इन विज्ञापनों का न्यास की गतिविधियों से क्या सम्बन्ध तथा इनका आम लोगों पर क्या प्रभाव अपेक्षित था का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में उन्हीं समाचारपत्रों व पत्रिकाओं में विज्ञापन दिया जाए जो प्रदेश स्तर/राष्ट्रीय स्तर की हों।

क्रम संख्या	माह	राशि	जिसको भुगतान किया गया
1.	1/05	12,500.00	हिमाचल दर्पण।
	1/05	5000.00	चिन्तापूर्णी समाचार।
	1/05	4970.00	अजीत समाचार।
	1/05	10,000.00	ट्राईवल समर फेस्टिवल किन्नौर।
2.	2/05	5000.00	शब्द मंच बिलासपुर।
	2/05	10,000.00	शिवरात्रि मेला कमेटी मण्डी।
	2/05	10,000.00	बृज एसोसिएशन सोलन।
	2/05	6000.00	डेली उत्तम हिन्दू।
	2/05	7040.00	दैनिक जागरण।

3.	3/05	5000.00	यूथ क्लब ऊना।
	3/05	10,000.00	हिमोत्कर्ष साहित्य ऊना।
4.	4/05	5000.00	चिन्तपूर्णी समाचार।
	4/05	5000.00	एच0 पी0 स्टेट जर्नलिस्ट स्टेट फंडेशन बिलासपुर।
5.	5/05	10,000.00	चेयसैन ग्राम समिति बिलासपुर।
	5/05	20,000.00	होली उत्सव बिलासपुर।
6.	6/05	5000.00	हिम दिशा।
	6/05	5000.00	हीरावती।
	6/05	15000.00	चेयसैन नलवाड़ी मेला सुन्दरनगर।
7.	7/05	7000.00	चेयसैन नलवाड़ी मेला बिलासपुर।
	7/05	5500.00	ट्रिब्यून ट्रस्ट चण्डीगढ़।
	7/05	4997.00	अमर उजाला।
	7/05	5000.00	चिन्तपूर्णी समाचार।
	7/05	5000.00	समाज धर्म पत्रिका।
	7/05	5000.00	कल्याणी।
8.	8/05	10,000.00	जागरण प्रकाशन।
	8/05	10,000.00	दिव्या हिमाचल।
	8/05	9625.00	पंजाब केसरी।
	8/05	9941.00	अमर उजाला।
9.	9/05	7846.00	दिव्या हिमाचल।
	9/05	4970.00	अमर उजाला।
	9/05	10,000.00	एस0 डी0 एम0 बैजनाथ।
	9/05	10,000.00	शिवरात्रि मेला बैजनाथ।
10.	10/05	50,000.00	ऊना उत्सव।
	10/05	10,400.00	पंजाब केसरी।
	10/05	10,000.00	शूलिनी मेला सोलन।

11.	11/05	5000.00	हीरावती मैगजीन धर्मशाला।
	11/05	4808.00	जागरण प्रकाशन।
	11/05	5000.00	जीवन प्रतिष्ठा।
12.	12/05	14,709.00	जागरण प्रकाशन।
	12/05	10,000.00	मिजर मेला कमेटी चम्बा।
	12/05	5,000.00	शिखर कलचर शिमला।
	12/05	5,000.00	दिव्या हिमाचल।
	12/05	10,000.00	हमीर उत्सव।

23.

अंकेक्षण अवधि 1/05 से 12/05 के चयनित माह 4/05 व 8/05 में श्रद्धालुओं से दान के रूप में निम्न विवरणानुसार प्राप्त वस्तुओं का इन्द्राज, भण्डार पंजिका तथा दैनिक, चढ़ावा पंजिका में कम किया गया है, जिसका इन्द्राज करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

क्र० स०	दिनांक	दान में प्राप्त मद का नाम	मात्रा जो स्टॉक में ली जानी है	मात्रा जो ली गई है।	कम मात्रा
1.	1/4/05	1. साड़ी 2. चुनियाँ 3. स्टील थाली	8 90 1	6 67 -	2 23 1
2.	3/4/05	चुनियाँ	166	156	10
3.	4/4/05	1. स्टील परात 2. पंखे (छत्तवाले)	4 2	1 -	3 2
4.	5/4/05	1. चुनियाँ 2. साड़ियाँ	152 4	142 3	10 1
5.	9/4/05	1. शाल 2. साड़ी 3. स्टील थाली	1 5 2	- - 1	1 5 1
6.	10/4/05	1. दुपट्टे 2. स्टील गलास	14 1	12 -	2 1
7.	11/4/05	1. चुनियाँ	51	45	6

8.	14/4/05	2. साड़ी	2	1	1
9.	15/4/05	थाली	1	—	1
10.	16/4/05	घी	7	6	1
11.	17.4.05	साड़ी	3	2	1
		1. पखा	1	—	1
		2. दुपट्टे	24	—	1
		3. साड़ी	4	—	4
		4. थाली	1	—	1
		5. प्लेट	2	—	2
		6. चुनियाँ	196	95	101
12	18.4.05	1 तौलिया	1	—	1
		2. घी	30कि० मी०	24.5 कि० ग्रा०	5.5 कि० ग्रा०
13	19.4.05	सूट	20	19	1
14	24.4.05	1. सूट	10	5	5
		2. साड़ियाँ	4	3	1
		3. शॉल	2	1	1
15	27.4.05	सूट	7	6	1
16	29.4.05	सूट	8	7	1
17	2.8.05	थाली	1	—	1
18	9.8.05	1. साड़ी	3	2	1
		2. घण्टी	2	1	1
19	10.8.05	घी	29.5 कि. ग्रा.	28.5 कि० ग्रा०	1 कि. ग्रा०
20	12.8.05	1. थाली	2	1	1
		2. शाल	1	—	1
21	19.8.05	कोटी	2	1	1
22	26.8.05	चुनीयाँ	58	43	15
23	30.8.05	1. कूलर पंखा	1	—	1
		2. चुनियाँ	64	58	6
		3. घी	7	6	1

24. मन्दिर न्यास के वाहनों की लॉग बुक्स :- (क)

1. वाहन संख्या एच०पी० 20 सी 0004 :-

वाहन संख्या एच०पी० 20 सी 0004 की लॉग बुक का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न बिलों के विरुद्ध दर्शाए गए पेट्रोल

की मात्रा लॉग बुक में प्रविष्ट किए बिना ही भुगतान कर दिया गया है, जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इन बिलों को लॉग बुक में प्रविष्ट करके वाहन की सही औसत निकाली जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

क्र. सं.	फर्म का नाम	बिल संख्या	दिनांक	पेट्रोल की मात्रा (लि0)	राशि (रु0)
1	मैसर्स भाईयाँ ऑयल कम्पनी ऊना रोड अम्ब	6201	1.4.05	39	1542.06
2	मै0 ब्रह्म सरूप एण्ड सन्ज चण्डीगढ़।	19128	8.4.05	35	1342.25
3	मै0 भाईयाँ ऑयल कम्पनी ऊना रोड अम्ब	6219	7.6.05	39	1542.06
4	मै0 भाईयाँ ऑयल कम्पनी ऊना रोड अम्ब	6229	16.7.05	39	1648.00
5	मै0 भाईयाँ ऑयल कम्पनी ऊना रोड अम्ब	6232	27.7.05	39	1648.00
6	मै0 भाईयाँ ऑयल कम्पनी ऊना रोड अम्ब	6102	27.8.05	39	1648.00
	अर्थात् मु0	9370.00रु			9370.37

2. चयनित माह 4/05 व 8/05 का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि इसमें बहुत सी ऐसी यात्राएं की गई हैं जिनका मन्दिर न्यास का गतिविधियों से कोई भी प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। भविष्य में इस प्रकार की यात्राओं पर अंकुश लगाया जाए तथा वही यात्राएं की जानी सुनिश्चित की जाए जिनका मन्दिर न्यास के कार्यों से सम्बन्ध हो।

(ख) वाहन संख्या एच0 पी0 -19 बी 009 :-

वाहन संख्या एच0 पी0 -19 बी 009 की लॉग बुक का अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई।

1. श्री अवनीश शर्मा नायब तहसीलदार भरवाई ने दिनांक 25.6.05 को चिन्तपूर्णी से ऊना दो चक्कर लगाए हैं। उन्होंने यह यात्रा किस उद्देश्य से

की है स्पष्ट नहीं किया है। अतः उन द्वारा 266 कि० मी० की बिना उद्देश्य की गई यात्रा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पत्र संख्या : फिन 1(सी)14-1/92 खण्ड - 2 दिनांक 25.2.05 द्वारा निर्धारित दर मु० 5.50 रु० प्रति कि०मी० की दर से मु० 1403/- रु० (255 x 5.50) की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ग) वाहन संख्या एच०पी० 19 ए० 666 तथा एच०पी० 20.3770 (मरुति वैन)
एम्बुलेंस :-

हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यलय ज्ञापन संख्या जी०ए०डी० /डी० 1-96 दिनांक 21.1.97 द्वारा मरुति वैन हेतु औसत निम्न प्रकार से निर्धारित की है।

स्थानीय यात्रा (प्रति लिटर)	लम्बी यात्रा (प्रति लिटर)
9 कि० मी०	10.00 कि०मी०

परन्तु उक्त दोनों वाहन मरुति वैन (एम्बुलेंस) है तथा परिशिष्ट (ड) पर लगाए गए विवरण अनुसार इनकी औसत निम्न प्रकार से है जो कि सरकार द्वारा निर्धारित मादण्डों के अनुरूप नहीं है। चर्चा में बताया गया कि यह वाहन मन्दिर न्यास द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु स्थानीय बाजार में उपलब्ध करवाए जाते हैं। श्रद्धालुओं की अत्याधिक भीड़ होने के कारण इन वाहनों की निर्धारित औसत प्राप्त नहीं हो सकती है। जिसे प्रमाणित करवाए जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

क्र० सं०	वाहन संख्या	औसत (कि०मी०)
1	एच०पी० 19 ए० 0666	8.70
2	एच०पी० 20 - 3770	7.21

25.

मन्दिर न्यास की अवेक्षण अवधि के चयनित मात्तों में व्यय वाकवर्सों की पड़ताल करने पर पाया गया कि न्यास द्वारा गाड़ियों को निम्न विवरणानुसार किया पर लिया गया परन्तु किया पर ली गई गाड़ियों पर निजी नम्बर ही थे अर्थात् किया पर टैक्सी वाहन प्रयोग नहीं किए गए जो कि एक अनियमितता है। अतः इस बारे परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में केवल टैक्सी नम्बर वाले वाहन ही किया पर लिए जाए जिससे कि सरकार को राजस्व की हानि न हो।

वा0 स0	मास	वाहन संख्या	भुगतान राशि	विवरण
476	8/05	एच0पी0-19 ए - 4237	8800.00	दिनांक 6.8.05 से 16.8.05 तक 11 दिनां के लिए 800.00 रु0 प्रति दिन हेतु।
478	8/05	एच0पी0-36 - 3482	8800.00	दिनांक 6.8.05 से 16.8.05 तक 11 दिनां के लिए 800.00 रु0 प्रति दिन हेतु।
90	4/05	वाहन संख्या अंकित नहीं थी	650.00	दिनांक 20.4.05 को पुलिस दल का वायरलेस सैट ऊना छोड़ने हेतु। बिल रमर्ग भिखान भण्डार चित्तपुरणी के नाम था।

26. विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरण :-

परिशिष्ट (ब) पर लगाए गए विवरण के अनुसार न्यास के विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण विचाराधीन है। न्यायालय से निर्णय आने पर तदनुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

27. आपत्ति विवरणी:-

यह अलग से जारी नहीं की गई है।

28. निष्कर्ष :-

लेखाओं में सुधार व कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।


 अतिरिक्त निदेशक
 स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
 हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009

16/1
10 APR 2007

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0)एच (2)(सी)(15)(14)1437/86-खण्ड-7 दिनांक
शिमला-17009

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

पंजीकृत :-

1. मन्दिर अधिकारी मन्दिर न्यास माता श्री चित्तपूर्ण, जिला ऊना (हि0प्र0) की इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिपण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र प्रेषित करें।
2. उपायुक्त एवं सचिव (भाषा) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला -2
3. निदेशक, (भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग) हि0प्र0 शिमला -9
4. आयुक्त मन्दिर एवं उपायुक्त, ऊना, जिला ऊना, हि0 प्र0।

का/प्र/8

अतिरिक्त निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हि0प्र0, शिमला-171009

12
No.Fin(LA)H(2)C(15)14-187/86-Vol-II, -2720
Government of Himachal Pradesh
Local Audit Department.

From

Director
Local Audit Department
Himachal Pradesh Shimla-9

To

The Principal Secretary (LAC) to the
Government of Himachal Pradesh.

- 6 JUN 2007

Subject: Financial Analysis Report on the account of Mata Chintpurni Temple Trust Chintpurni, Distt. Una for the period from 1/05 to 12/05 and important findings.

Sir,

From the perusal of the audit note of temple trust Mata Chintpurni, District Una for the period 1/05 to 12/05 issued vide this office endorsement of even number dated 10.4.07, it has been noticed that some irregularities were persisting for the last so many years but no sincere efforts have been taken to stop these irregularities. The financial analysis report on fiscal management of the trust and the corrective measures to plug the re-occurrence of such irregularities have been mentioned below.

Settlement of old outstanding Paras of Audit Report;

Out of 427 Paras/sub paras of previous audit reports 87 Paras/Sub Paras, have been settled and 10 Paras partially settled. Vigorous efforts needs to be taken by the authorities of temple trust for settlement of remaining 340 old outstanding paras.

Financial Position

From the perusal of the financial position it was gathered that during the period under audit report, the temple trust received Rs 7.90 crore from the offering of devotees/interest from FD etc against witch expenditure on management of temple and other connected activities was Rs 4.31 crore which was 54.50 percent of the total receipt. The surplus amount which is lying in the saving account may be considered to be kept in fixed deposit in order to earn mere interest by the trust.

Stock of gold and silver

Stock of gold and silver as on 31.12.20005 offered by the devotees is as under

Material	quintal	kg	grams	in grams
Gold	1	3	975	284
Silver	34	84	529	700

163
Huge quantity of gold and silver is lying in the stock. These precious metal is appears to be lying ideal in the store, in order to earn more interest Temple authority may consider to invest surplus gold in the Govt of India gold bond scheme, besides disposing through sale, so that the amount received in the shape of interest and by sale could be utilized for the development of temple adjoining areas and for securing health safety or convenience the pilgrims & worships in accordance with the provision contained in section 17 of temple Act 1984.

Establishment: Expenditure incurred on pay and allowance of the employees of the temple trust during the period was as under.

Year	Receipt	Expenditure on pay and allowance	Percentage of w.r.t. the receipt on pay and allowance
2003	56272512	5352511	9.51%
2004	65313191	5431933	8.31%
2005	79002028	5758947	7.28%

Percentage of expenditure on pay and allowances of employees against receipt of temple was reasonable.

Budget

Budget of the temple trust was not being prepared in accordance with the provision contained in rule 13 of H.P Hindu public religion instruction and charitable rule 1984 which is highly irregular. The authorities of temple trust may be directed to prepare the budget in the month of December showing their proposed receipt and expenditure of the ensuring year and the same should be submitted to the concerned authorities in accordance with rule 13. **Para-43**

Expenditure:

i) Purchase of Mobile Phone :

Mobile Phone set costing to Rs. 13200/- were purchased by Temple trust and issued to SDM Amb without obtaining the sanction of competent authority.

This expenditure incurred for the purchase of Phone needs either to be got regularized with the sanction of commissioner or else recovery effected from the concerned and deposited into the Temple fund. **(Para 18)**

ii) Recharging of Mobile Phone of employees of Trust :

An expenditure of Rs. 14,010-00 incurred on recharging of Mobile Phone of the employees of the Temple Trust irregularly.

Amount spent on the recharging of the Mobile Phone needs to be justified or regularized with the sanction of the commissioner or else recovery

164
effected from the officials whose mobile phone were recharged. In exceptional cases such as Fair etc., if it is necessary to recharge the mobile phone out of Temple fund for better supervision control and management of devotees specific provisions need to be incorporated in the rules. (Para 20).

iii) Purchase :

Various articles were purchased without completing codal formalities. In the absence of which it could not be verified whether purchases was effected at the lowest market rates or the benefit of healthy market competition was availed or not.

As such purchases effected without availing lowest market rate needs to be got regularized by obtaining the ex-post facto sanction of the commissioner. In future such lapses need to be curbed.

iv) Advertisement :

Huge amount had been spent on publishing advertisement in various papers, magazines etc. without furnishing justification for the same.

For publishing advertisement in the papers full justification needs to be furnished by the Temple Trust. (Para-22).

v) Hire of Vehicle :

Private vehicle were hired by the Temple Trust instead of Taxis which is irregular. By hiring private vehicle instead of taxis for work of Temple Trust pilferage of temple fund could not be ruled out. As such this practice of hiring of Private vehicle needs to be stopped.

vii) Share of Trustee/Baridaries :

Un claimed share of beneficiaries amounting to Rs. 13,15,318/- for the year 1/2005 to 12/2005 kept in the current account instead of depositing the same in saving account of Temple Trust.

This unclaimed amount may be drawn from the current account and deposited into the saving account of the Temple Trust. As and when amount in needed for disbursement the same may be got drawn and paid to the baridaries.

The necessary direction may kindly be issued to the Temple Officer Temple Trust Chintpurni Distt. Una

for taking corrective measures in order to settle old outstanding audit paras, besides taking action to stop the re-occurrence of irregularities.

Over view: A copy of overview of major irregularities is also enclosed.

Yours faithfully


Director,

Local Audit Department,
Himachal Pradesh, Shimla-9

मुख्य / गम्भीर अनियमितताओं का विवरण

अवधि 1.2.2005 से 31.12.2005

क्र.सं.	पैरा सं.	विवरण
1	8	श्री जीवन कुमार कनिष्ठ सहायक को मुबलिग 43822/- ₹0 का अनुचित भुगतान ।
2	10	पुजारियों / नारीदारों को देय मु0 1315318/- ₹0 की राशि को बैंक के वसूल खाते या कम अवधि के सावधिक जमा में रखने के बजाए चालू खाते में रखने के कारण न्यास को प्राप्त होने वाले ब्याज की हानि ।
3	11	संविदाकार को मु0 936/- ₹0 का अनुचित भुगतान ।
4	12	संविदाकार को मु0 12402/- ₹0 का अनियमित भुगतान ।
5	13	फर्म को मु0 840/- ₹0 का अधिक भुगतान ।
6	15	राष्ट्री से किराया के रूप में मु0 1200/- ₹0 की कम वसूली
7	18	गेटवाईल कय पर किया गया मु0 13200/- ₹0 का अनियमित भुगतान
8	20	मोबाईल फोन चार्ज करवाने पर मु0 14016/- ₹0 का अनियमित खय ।
9	22	विभिन्न विज्ञापनों पर मु0 385306/- ₹0 का अनुचित भुगतान ।
10	24(क)	मु0 9370/- ₹0 के पेट्रोल के बिलों का लागत में प्रतिष्ठि किए बिना किया गया भुगतान ।
11	24(ख)	मु0 1403/- ₹0 बिना उद्देश्य की गई यात्रा के फलस्वरूप न्यास पर अनुचित प्रगार ।